Deg II (H)
Paper - IV

British Judicial Systems
(ब्रिटिश न्याय व्यवस्था)

* विधि का शासन
* विशेषताएं
* संगठन
* दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय

---

* **विधि का शासन (Rule of law)**: राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन-व्यवस्था का नाम 'विधि के शासन' के साथ जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का आशय यह है कि इंग्लैण्ड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, वरन् विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्च स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के समक्ष समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मनमानी के लिए कोई स्थान नहीं है।

विधि के शासन की विशेषताएं: प्रो० डायसी ने ब्रिटेन में विधि के शासन को संविधान का एक प्रमुख अंग माना है। उनके अनुसार विधि के शासन की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:

(1) **विधि की सर्वोच्चता**: ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है।

(2) **सभी नागरिकों के लिए एक विधि एक न्यायालय**: डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति चाहे उन्हें कोई भी पद प्राप्त क्यों न हो, विधि के दृष्टि से समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत है। 'विधि के शासन' की मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे 'प्रशासनिक न्यायालय' नहीं हैं जिनके अन्तर्गत प्रशासनिक के विरुद्ध कार्यों के लिए अभियोग चलाये जा सकते हैं।

(3) **विधि के शासन अधिकारों का रक्षक**: प्रो० डायसी के अनुसार विधि के सामान्य सिद्धान्त नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ

व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इस लिए नहीं है कि भारत या USA की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अन्तर्गत की गई है वरन् इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा ही करते आये हैं।

कानून और न्याय-व्यवस्था की विशेषताएं

ग्रेट-ब्रिटेन में विधि और न्याय की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वहाँ के नागरिक अपनी इस व्यवस्था पर गर्व करते हैं। विधि और न्याय-व्यवस्था की निम्न विशेषताएँ हैं :-

(1) विधि का शासन या शासन एक प्रकार का : ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता निश्चित रूप से विधि का शासन ही है जिसकी विस्तृत विवेचना ऊपर वर्णित है।

(2) कानून का असंहिताबद्ध रूप : ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग असंहिताबद्ध ही है भारत या USA की भांति संहिताबद्ध नहीं है। ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग उस रूप में है, जिसे सामान्य कानून कहते हैं और जिसे न्यायालयों के अनेक निर्णयों में देखा जा सकता है। औचित्य की धारणा के आधार पर न्यायाधीशों के द्वारा दिये गये निर्णय भी असंहिताबद्ध कानून का ही एक बड़ा भाग है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि ब्रिटेन में संहिताबद्ध कानून है ही नहीं।

(2) दीवानी और फौजदारी कानून में भेद : ब्रिटेन में दीवानी और फौजदारी कानून तथा उनसे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में भेद किया जाता है। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अपने अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी विवादों से होता है और उसके अन्तर्गत व्यक्तियों के द्वारा स्वयं ही अभियोग चलाये जाते हैं, राज्य के द्वारा नहीं। फौजदारी कानूनों का संबंध पूरे समाज के विरुद्ध किये गये अपराधों से होता है और उसके अन्तर्गत अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। दीवानी और फौजदारी विवादों में यह भी अन्तर है कि जूरी का प्रयोग फौजदारी अभियोगों में ही किया जाता है।

(4) न्यायपालिका की स्वतंत्रता : न्यायाधीशों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा लार्ड चान्सलर अथवा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है और न्यायाधीशों का चयन अनुभवी वकीलों में से की जाती है। उनकी नियुक्ति सदाचरण काल तक के लिए होता है और संसद द्वारा उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। पदोन्नति की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि उनका न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़े। संसद में अथवा बाहर न्यायाधीशों की कोई आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध न्यायालय की अपमान की कार्यवाही की जा सकती है।

(5) <u>न्याय विभाग का सुव्यवस्थित संगठन</u> : 19 वीं शताब्दी तक इंग्लैण्ड में न्याय विभाग सुव्यवस्थित रूप से संगठित नहीं था। वहाँ अनेक प्रकार के न्यायालय थे जिनकी कार्यविधि भिन्न-भिन्न प्रकार की थी और अनेक बार मतभेद उत्पन्न हो जाता था कि एक विशेष विवाद किस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सन् 1873 से लेकर 1876 तक के बीच अनेक सुधार किये गये जिसके परिणामस्वरूप केवल 'जस्टिस ऑफ पीस' नाम के न्यायालयों को छोड़कर व्यवस्थित रूप से एक सूत्र में आ गये हैं तथा न्याय क्षेत्र से संबंधित कठिनाइयाँ दूर हो गई है।

(6) <u>न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव</u> : भारत तथा USA में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं जिनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। इसी आधार पर न्यायपालिका को 'संविधान का संरक्षक' कहा गया है लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे संसद द्वारा पारित अधिनियमों की वैधानिकता की जाँच कर सकें।

(7) <u>जूरी प्रथा</u> : ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता जूरी प्रथा है, जिसका प्रयोग दीवानी मुकदमों की अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में अधिक किया जाता है। यह जूरी प्रथा 12वीं सदी से चली आ रही है। जूरी प्रथा में 12 व्यक्ति होते हैं और वे माननीय सिद्धान्तों के आधार पर अभियोग की सुनवाई करते हैं। अभियोग की पूरी सुनवाई के बाद वे न्यायाधीश के समक्ष अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है अथवा नहीं। न्यायाधीश जूरी के परामर्श का बहुत सम्मान करते हैं। जब जूरी अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगरानी की अपील नहीं कर सकती। जूरी प्रथा के कारण न्याय के साथ दया का मिश्रण हो जाता है। ब्रिटिश जूरी अपनी निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के लिए विख्यात है।

(8) <u>निःशुल्क कानूनी सहायता</u> : ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है। कानूनी सहायता 1949 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को दीवानी के मामलों में उच्च न्यायालय तथा अपील के न्यायालयों के मामलों में इंग्लैण्ड व वेल्स में तथा दीवानी न्याया- लय व शेरिफ न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैण्ड में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इंग्लैण्ड में लार्ड सभा की अपील के मामलों में भी कानूनी सहायता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर निर्बल वर्ग को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है।

(9) न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षक : ब्रिटिश न्यायालय नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान व मौलिक अधिकार न होने पर भी वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों से कम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि के लेख जारी करके नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(10) विकेन्द्रित न्याय व्यवस्था : ब्रिटिश न्यायिक पद्धति की एक विशेषता उसके Circuit Courts हैं। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित स्थान पर करने के बजाए स्थान-स्थान पर जाकर करते हैं। इससे न्याय व्यवस्था विकेन्द्रित की गई है और व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। काउण्टी न्यायालय जिन्हें दीवानी विवादों के संबंध में विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं, लगभग 60 सर्किट क्षेत्रों में विभक्त हैं। इसी प्रकार अनेक फौजदारी मुकदमों की सुनवाई Assize Courts द्वारा की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में तीन-चार बार विभिन्न नगरों में मुकदमे सुनते हैं। इसलिए इन्हें 'क्वार्टर सेशन्स न्यायालय' भी कहा जाता है।

ब्रिटिश न्यायालयों का संगठन

सन् 1873 ई० पूर्व ब्रिटिश न्यायालयों की स्थिति बहुत ही अधिक अव्यवस्थित थी। देश में विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे जिनमें दीवानी, फौजदारी, धार्मिक, अधिकारी तथा तत्सम्बंधी मुकदमे थे। इन न्यायालयों की कार्यविधि में एकरूपता का अभाव था और अधिकारों के प्रति विवाद होते रहते थे। अतः 1873-1876 के अधि० में ब्रिटिश न्यायपालिका पुनर्गठित किये गये। अब ब्रिटिश न्यायपालिका को दो भागों में बाँट दिए गए : दीवानी और फौजदारी।

दीवानी न्यायालय (Civil Courts)

लार्ड सभा
(राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय)
↓
अपील का न्यायालय (Court of Appeal)
↓
उच्च न्यायालय (High Court)
↓
- हाई कोर्ट की क्वीन्स बेंच एण्ड बेंच
- सम्राट की न्यायपीठ
  - क्वार्टर सेशन्स न्यायालय
  - काउण्टी न्यायालय
- चान्सलरी डिविजन
- प्रोबेट तलाक तथा एडमिरल्टी डिविजन

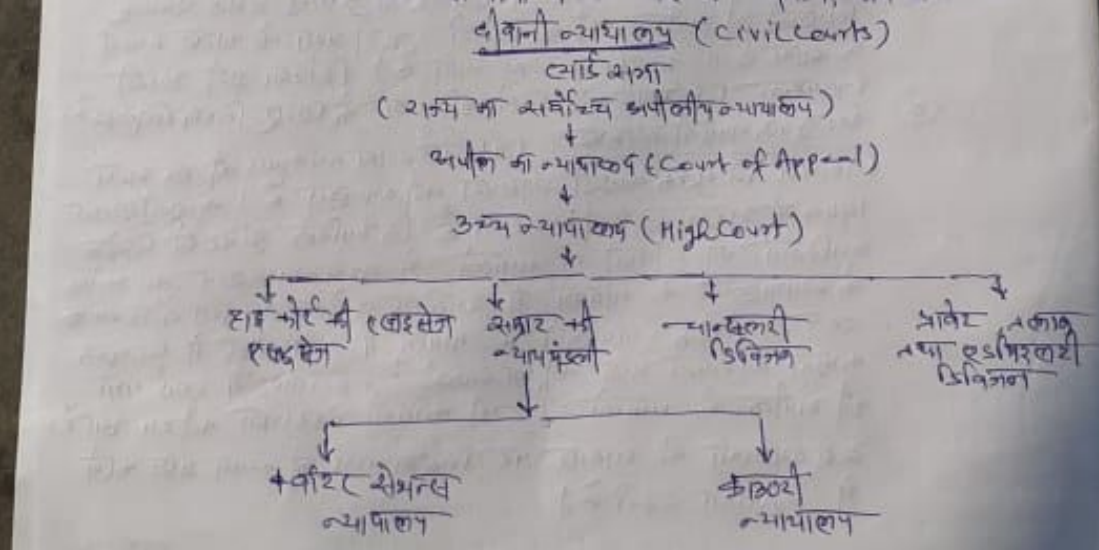

दीवानी न्यायालय
(Civil Courts)

* **काउन्टी न्यायालय** : दीवानी क्षेत्र में सबसे प्रथम स्तर के न्यायालय को जिसे काउन्टी न्यायालय कहा जाता है। ब्रिटेन में काउन्टियाँ उसी प्रकार हैं जिस प्रकार के प्रशासनिक उप-विभाग है जिस प्रकार भारत देश में जिले हैं। 200 पौण्ड से कम धनराशि वाले विवादों की सुनवाई इन न्यायालयों में की जाती है। न्याय की दृष्टि से इंग्लैण्ड को 500 विभागों में विभाजित किया गया है और इन 500 विभागों को 60 सर्किटों में, जिनमें से प्रत्येक सर्किट में 8 या 9 काउन्टी न्यायालय हैं। एक सर्किट का एक न्यायाधीश होता है; जिसकी नियुक्ति लार्ड चान्सलर द्वारा की जाती है। सर्किट न्यायाधीश को अपनी सर्किट की प्रत्येक काउन्टी के माह में कम-से-कम एक बार न्यायालय लगाना होता है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में एक पेशकार होता है जो मुकदमा को रजिस्टर करता है। पेशकार को यह अधिकार होता है जो वह छोटे-छोटे विवादों का आपस में समझौता कराता है।

उच्च न्यायालय : काउन्टी न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय के विभिन्न विभाग हैं। उच्च न्यायालय में विवादों को सीधे प्रस्तुत किया जाता है जो काउन्टी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय में काउन्टी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील 'अपील के न्यायालय' में उसकी अनुमति से की जा सकती है। उच्च न्यायालय के तीन विभाग हैं —

(i) **सम्राट की न्याय मंडली** : इसमें 19 न्यायाधीश तथा एक लार्ड प्रधान न्यायाधीश होता है। इसी में से ऐसाइजेज के न्यायाधीश चुने जाते हैं, जो भ्रमण करते हुए न्याय कार्य करते हैं। जहाँ उनका न्यायालय होता है उसे उच्च न्यायालय की अदालत माना जाता है। इसमें दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के विवाद आते हैं।

(ii) **चान्सलरी डिवीजन** : इसमें पाँच न्यायाधीश होते हैं तथा लार्ड चान्सलर इसका अध्यक्ष होता है। इसमें नैसर्गिक न्याय से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है।

(iii) **प्रोबेट, तलाक तथा एडमिरल्टी डिवीजन** : इसमें उत्तराधिकार, तलाक या समुद्री यात्रा के समय जहाजों पर हुए अपराधों के विवादों पर विचार किया जाता है। यद्यपि इन विभागों के अलग-अलग कार्य-क्षेत्र हैं।

अपील का न्यायालय : उच्च न्यायालय के उपर्युक्त विभागों के विरुद्ध अपीलें, अपील के न्यायालय में की जा सकती हैं, जिसमें लार्ड न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के तीनों विभागों के अध्यक्ष तथा न्यायाधीश होते हैं। लार्ड चान्सलर 'अपील के न्यायालय' का अध्यक्ष होता है।

लार्ड सभा : लार्ड सभा अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जिसके द्वारा दीवानी और फौजदारी की सुनवाई की जाती है। लार्ड सभा जब न्यायालय के रूप में बैठती है तो उसके सभी सदस्य उपस्थित नहीं होते। सन् 1876 के अधिनियम के अनुसार केवल विधि लार्ड, लार्ड चान्सलर तथा लार्ड सभा के वे सदस्य, जिन्हें न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और इसी पर भी अपील नहीं की जा सकती।

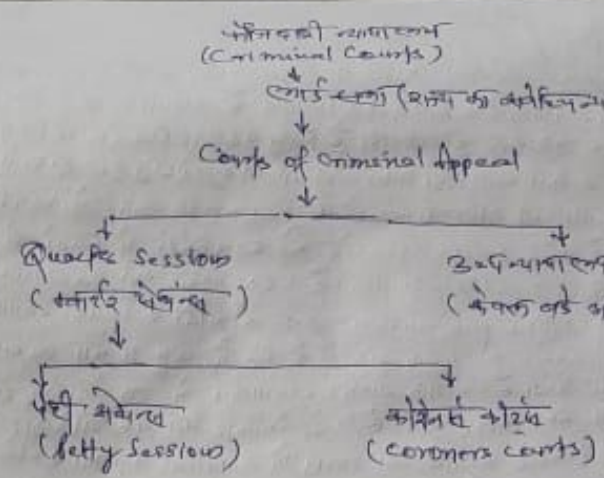

फौजदारी न्यायालय
(Criminal Courts)
↓
लार्ड सभा (राज्य का सर्वोच्च न्यायालय)
↓
Courts of Criminal Appeal
↓

- Quarter Sessions (क्वार्टर सेशन्स)
  - पेटी सेशन्स (Petty Sessions)
  - कोरोनर्स कोर्ट्स (Coroners Courts)
- उच्च न्यायालय के एसाइजेज (केवल बड़े अपराधों के लिए)

Petty Sessions: ये न्यायालय सबसे प्रथम स्तर के छोटे हैं, और इनमें स्थानीय मजिस्ट्रेट, जिनको 'Justice of Peace' कहा जाता है, न्याय करते हैं। न्यायालयों की संख्या 20 हजार से अधिक है और ये इंग्लैण्ड तथा वेल्स में सर्वत्र मौजूद हैं। ये अवैतनिक कार्य करते हैं किन्तु लंदन और बड़े नगरों में ये वैतनिक भी होते हैं। इनकी नियुक्ति लार्ड चान्सलर के द्वारा की जाती है।

Coroners Courts: यह न्यायालय, न्यायालय की वर्तमान व्यवस्था की दृष्टि से न्यायालय नहीं है। इसमें एक Coroner होता है जो काउण्टी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह कोरोनर प्रायः डा० या वकील होता है। वह जूरी की सहायता से कार्य करता है और इसका कार्य किसी व्यक्ति की रहस्यमय, आकस्मिक अथवा अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों का पता लगाना होता है। यह जीवन भर के लिए नियुक्त किया जाता है

Quarter Sessions: क्वार्टर सेशन्स के न्यायालयों में काउण्टी के सभी 'Justices of Peace' सम्मिलित रूप से न्याय प्रदान करते हैं। किन्तु इनमें सबकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, केवल दो के आने से ही कोरम पूरा हो जाता है। इसका सत्र वर्ष में चार बार होता है। इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, गंभीर मामलों को छोड़कर - हत्या, देशद्रोह तथा जालसाजी आदि क्षेत्राधिकार में नहीं आते। पेटी सेशन की अपील सुनना, यह जूरी की सहायता से न्याय करता है।

Assizes: एसाइजेज न्यायालयों में उच्च न्यायालय के बाहर की न्याय मंडली में एक या दो न्यायाधीश कार्य करते हैं। यह न्यायालय समय-समय पर प्रत्येक काउण्टी के प्रमुख नगर में ~~लगता है~~ लगता है। अभियुक्त द्वारा अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए जूरी की मांग की जाती है। यदि जूरी की राय में अभियुक्त निरपराध है तो उसे मुक्त कर दिया जाता है और दोषी पाये जाने पर दण्डित किया जाता है।

<u>Courts of Criminal Appeal</u> : इस न्यायालय में लार्ड न्यायमूर्ति, प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश हैं। परन्तु इसी न्याय मंडली में कम से कम तीन न्यायाधीश होते हैं। इसके निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील लार्ड सभा में की जा सकती है, किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है, जब एटार्नी जनरल अनुमति प्रदान करें।

<u>Lords Sabha</u> : लार्ड सभा दीवानी के साथ ही फौजदारी के भी अपील का अन्तिम न्यायालय होता है। जिस प्रकार दीवानी के भी लार्ड सभा को [illegible] के अधिकार प्राप्त हैं।

इंग्लैण्ड न्यायपालिका शासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। इन व्यवस्थाओं की रक्षा समुचित न्याय-व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ब्रिटिश न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है और कानून के उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड देती है।

—— x ——

Girijesh Singh, Asst. Professor
Dept: Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class : Deg-II, Paper - IV
Topics : British Judicial System
Date : 16.05.2020